निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	:	**श्री विजय किरन आनन्द,**
पदनाम	:	जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
निरीक्षण स्थल	:,	ग्राम धीमरपुरा स्थित भूखण्ड की स्टाम्प की जांच जनपद–शाहजहाँपुर।
निरीक्षण का दिनांक	:	15–04–2016

मेरे द्वारा दिनांक 15.04.2016 को शासनादेश सं0 क0नि0–5–1420 / 11–99–500(136) / 89 दिनांक 16.08.1999 के क्रम में विलेख संख्या 3368 / 2016 जो दिनांक 08–03–2016 को पंजीकृत कराया गया है का निरीक्षण किया गया। निरीक्षित विलेख में अंकित सम्पत्ति का विवरण तथा उस पर अदा किये गये स्टाम्प का विवरण निम्नवत है :–

1. विलेख संख्या	3668 / 2016
(क) प्रस्तुत करने का दिनांक	08.03.2016
(ख) विलेख द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का निर्धारित सूची के अनुरूप मूल्यः–	9051000.00
(ग) स्थलीय निरीक्षण की जाने वाली सम्पत्ति की स्थिति / वर्तमान उपयोगः–	कृषि
2– स्थल निरीक्षण किये जाने वाली सम्पत्ति की स्थिति कृषि / आवासीय / व्यवयायिक / औद्योगिक,	कृषि
3– सम्पत्ति के आस–पास विद्यमान गतिविधियां–	कृषि
4– शासनादेश के अनुसार सम्पत्ति की स्थिति उपयोगिता के आधार पर–	3500000.00 प्रति हेक्टेअर

5– सम्पत्ति– एक किता आराजी उफतादा कृषि भूमि गाटा सं0 59 रकवा क्षेत्रफल 2.586 हेक्टेअर कुल अंश।

स्थित– ग्राम धीमरपुरा परगना व तहसील पुवायाँ शाहजहॉपुर।

विक्रेता :– श्री हरनेक सिंह पुत्र श्रवण सिंह, निवासी ग्राम धीमरपुरा, परगना व तहसील पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर आदि।

क्रेता :– श्रीमती हरबंश कौर पत्नी स्व0 सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम धीमरपुरा, परगना व तहसील पुवायाँ, शाहजहाँपुर।

चौहद्दीः–

पूरब–आराजी गुरमेल सिंह आदि।	उत्तर–आराजी कुलवंत सिंह
पश्चिम–चक मार्ग कच्चा।	दक्षिण–चकमार्ग कच्चा।

6– जैसा कि प्रपत्र नियम–6, में उद्वरित किया गया है कि अन्तरित सम्पत्ति–एक किता आराजी कृषि क्षेत्रफल 2.586 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम धीमरपुरा परगना व तहसील पुवायाँ, शाहजहॉपुर का दिनांक 15.04.2016 को उपजिलाधिकारी पुवायां/क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, लेखपाल की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा मौके पर लेखपाल द्वारा तैयार किया गया चौहद्दी युक्त सम्पत्ति का नजरी नक्शा व फोटो आदि संलग्न है।

दिनांक 01.08.2015 से प्रभावी वार्षिक रेट सूची के प्रारूप–4, पृष्ठ सं0 48, कम सं0 303, वी कोड 1167, ग्राम धीमरपुरा ग्रामीण पर आवादी से सटी भूमि की निर्धारित दर 3500000/–रू0 प्रति हेक्टेअर से विलेख का निष्पादन कराया गया है। उक्त भूमि के दो ओर कच्चे चकमार्ग हैं। सम्पत्ति का विक्रीत क्षेत्रफल 2.586X3500000=9051000 पर महिला क्रेता को अनुमन्य अधिकतम सीमा तक देय छूट के अनुसार 04 प्रतिशत की दर से तथा शेष अतिरिक्त मालियत पर 05 प्रतिशत की दर से कुल मालियत 9051000 पर 4+5 प्रतिशत की दर से विलेख पर 442550/–रू0 स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

निरीक्षण के दौरान मौके पर विलेख द्वारा अंतरित भूमि पर यूकेलिप्टिस के 25 वृक्ष खड़े पाए गए, जिसकी सूची मौके पर उपस्थित लेखपाल द्वारा तैयार करायी गई। उक्त संदर्भित विलेख में किसी भी वृक्ष का मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा विलेख के पृष्ठ संख्या 03 के बिन्दु संख्या 07 में विक्रीत आराजी में वृक्ष–पेड़–बोरिंग आदि न होना अंकित किया है, जबकि मौके पर निरीक्षण के समय 25 वृक्ष यूकेलिप्टिस के पाए गए। इस प्रकार इस विलेख में विक्रीत भूमि पर लगे हुए वृक्षों को धोखा–धड़ी कर करापवंचन के उद्देश्य से छिपाते हुए अंकित नहीं किया गया है। इस इस इस विलेख में वृक्षों के मूल्यांकन पर पृथमदृष्टया करापवंचन किया जाना परिलक्षित होता है।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर।

पत्रांक- 1284/ए0का0/कैम्प/2016 दि0- 5/5/16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), शाहजहाँपुर।

2– सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित उप निबंधक का उक्त के क्रम में स्पष्टीकरण प्राप्त कर आख्या प्रस्तुत करें।

3– उप निबन्धक पुवायाँ, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ कि संदर्भित विलेख में पाये गए करापवंचन का मूल्यांकन कर नियमानुसार वाद दर्ज कराना सुनिश्चित कराएं।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर।